आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department for the Welfare of Differently Abled Persons

Marriage Assistance Scheme for Differently Abled Persons

तमिलनाडु सरकार दिव्यांग व्यक्ति के विवाह पर, या दिव्यांग-रहित व्यक्ति द्वारा दृष्टिबाधित, अस्थि-दिव्यांग या वाक्-श्रवण बाधित व्यक्ति से विवाह करने पर विवाह सहायता और सोने का सिक्का देती है।

क्या मिल सकता है

कुल ₹25,000 और थिरुमंगल्यम के लिए 8 ग्राम का सोने का सिक्का। पति-पत्नी में से किसी ने डिग्री या डिप्लोमा पूरा किया हो तो ₹50,000 और सोने का सिक्का मिलता है।

किसके लिए है

तमिलनाडु के वे दिव्यांग व्यक्ति जो दूसरे दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करें, और दिव्यांगता-रहित वे लोग जो दृष्टि, अस्थि या वाक्-श्रवण बाधित व्यक्ति से विवाह करें।

मुख्य शर्तें

- एक साथी दिव्यांग हो और दूसरा दिव्यांगता-रहित (दृष्टि, अस्थि या वाक्-श्रवण बाधित से विवाह), या दोनों साथी दिव्यांग हों।
- दोनों साथियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- अधिक राशि तभी मिलती है जब किसी एक साथी के पास डिग्री या डिप्लोमा हो।

दस्तावेज़

- दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पहचान पत्र
- विवाह का प्रमाण
- उम्र का प्रमाण

आवेदन कैसे करें

1. ज़िला दिव्यांग कल्याण कार्यालय से निर्धारित आवेदन प्रारूप लें।
2. उसे भरकर पहचान पत्र तथा विवाह व उम्र के प्रमाण के साथ ज़िला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को दें।
3. शिकायत हो तो दिव्यांगजन कल्याण आयुक्तालय, चेन्नई के सहायक निदेशक (DAW) को लिखें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.scd.tn.gov.in/marg_ass.php
आधिकारिक आवेदन: https://www.scd.tn.gov.in/forms/Application_for_assiatance.pdf
आधिकारिक PDF: https://cms.tn.gov.in/cms_migrated/document/docfiles/wdap_e_pn_2026_27.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-differently-abled-marriage-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।